

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3637] No. 3637] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2019

का.आ. 4038(अ).— केन्द्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित (व्यक्ति) को एतद्वारा नामित करती है:

डॉ. ज्ञानेश्वर टोंक, सह – प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ओर्थोपेडिक्स विभाग, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

5797 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2019

S.O. 4038(E).— In exercise of the power conferred by Section 4 (f) of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Raebareli**:

Dr. Gyaneshwar Tonk, Associate Professor and HoD, Department of Orthopaedics, Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, Meerut, Uttar Pradesh

The term of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.